FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

बाजदायरी स्वीकार 30/8/19

APP-A

Crim-1

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

विष्णु प्रसाद वैष्णव पुत्र श्री रेवाराम — बनाम — रुघनाथराम उर्फ राधेश्याम वैष्णव पुत्र रेवाराम व अन्य

किस्म मुकदमा बाज. प्रार्थना पत्र (धारा 151 जा.दी.) नम्बर 308/2019 सन् 2019 (किशनगढ़)

2019/00308 (रूपनगढ़)

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री मुकेश जैन श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
30.8.19	यह प्रार्थना पत्र बाजदायरी (अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने सपठित धारा 151 जा.दी.) श्री मुकेश जैन एड्वोकेट ने न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 21.08.2019 को अपील को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किये जाने के कारण पेश किया गया। प्रार्थना पत्र बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुआ। प्रार्थना पत्र बाजदायरी दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई।अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन न्यायहित में बाजदायरी प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील का निस्तारण गुणावगुण पर करना उचित समझते है किन्तु अभिभाषक प्रार्थी, अपील में रेस्पोडेन्टस की तलबी हेतु नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एडी आवश्यक रूप से पेश करेगें। अतः प्रार्थना पत्र बाजदायरी (अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने सपठित धारा 151 जा.दी.) को न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं तथा अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थना पत्र फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	